Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में श्रम निरीक्षक एवं ई–मित्र संचालक 3 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *23 फरवरी, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर इकाई द्वारा आज धौलपुर में कार्यवाही करते हुये विमल प्रताप सिंह, श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग, धौलपुर एवं विजय कुमार, ई–मित्र संचालक को परिवादी से 3 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की धौलपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे चचेरे भाई– बहिन की छात्रवृति स्वीकृत करने की एवज में विमल प्रताप सिंह, श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग, धौलपुर एवं विजय कुमार, ई–मित्र संचालक द्वारा 3 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की धौलपुर इकाई के **पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये विमल प्रताप सिंह पुत्र श्री गोपीचन्द निवासी सुन्दर कालोनी, पुलिस थाना निहालगंज, जिला धौलपुर हाल श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग, धौलपुर एवं विजय कुमार पुत्र श्री राजू, निवासी दरियापुर, पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर हाल विजय ई–मित्र संचालक को परिवादी से **3 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।